राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प. 7(523)परि/नियम/मु0/2014/5631 जयपुर, दिनांकः 06/04/2015

कार्यालय आदेश 07/2015

विषय :– ई–रिक्शा/ई–कार्ट के पंजीयन लाइसेंस व संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी निम्नलिखित विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के विभिन्न नियमों में ई–रिक्शा/ई–कार्ट के लाइसेंस, फिटनेस एवं परमिट से संबंधित आवश्यक संशोधन किए गए हैं :–

1. GSR 709(E) Dated 08-10-2014.
2. SO 2590 (E) Dated 08-10-2014.
3. अध्यादेश दिनांक 07.01.2015
4. GSR-27 (E) Dated 13-01-2015

उक्त सभी अधिसूचनाओं की प्रतियां समय–समय पर समस्त परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है तथापि पुनः छायाप्रतियां संलग्न कर ई–रिक्शा/ई–कार्ट के लाईसेंस पंजीयन, फिटनेस, परमिट एवं अन्य विभागीय कार्यों से संबंधित निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. परिभाषाः–

ई–रिक्शा : का तात्पर्य ऐसी बैट्री चलित तिपहिया यान से है,जो सवारियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर (On hire and Reward) परिवहन के काम आता है। उक्त यान की बैठक क्षमता चालक सहित 5 व 40 किग्रा सामान से अधिक नहीं होगी। इसकी मोटर 2000 वॉट या कम तथा अधिकतम गति 25 किमी/घंटा होगी।

ई–कार्ट : का तात्पर्य ऐसे तिपहिया बैट्री चलित यान से है भाड़े या पारिश्रमिक पर (On hire and Reward) माल (Goods) के परिवहन के काम आता है। उक्त यान में चालक के केबिन के अतिरिक्त पृथक से अधिकतम 310 किग्रा वजन परिवहन हेतु वहन इकाई (Load Body) होगी। मोटर की क्षमता एवं अधिकतम गति क्रमशः 2000 वॉट एवं 25 किमी/घंटा होगी।

2. प्रोटोटाईप एवं टाईप एप्रूवलः–

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में संशोधन किया जाकर ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट हेतु प्रोटोटाईप एवं टाईप एप्रूवल अनिवार्य किया गया है। अतः अन्य मोटर यानों की भांति ही विनिर्माताओं द्वारा इन वाहनों का प्रोटोटाईप एवं टाईप एप्रूवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 08 अक्टूबर 2014 से पूर्व विद्यमान ऐसे ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट जिनकी सूची रजिस्टर्ड ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट एसोसिएशन द्वारा परिवहन विभाग को दिनांक 30.नवम्बर 2014 तक दी जा चुकी है के प्रकरणों में प्रोटोटाईप एवं टाईप एप्रूवल प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट एसोसिएशन द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

परिवहन विभाग द्वारा अभिज्ञात (Identified), रजिस्टर्ड ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट एसोसिएशन द्वारा उक्त सूची में सम्मिलित प्रत्येक मॉडल के यानों का नियम 126 में वर्णित जांच संस्थाओं में से किसी संस्था से परीक्षण करवाया जाकर प्रोटोटाईप एवं टाईप एप्रूवल प्राप्त किया जाएगा। ऐसे वाहनों के चैसिस क्रमांक जांच संस्था द्वारा ही जारी किये जाएंगे।

3. <u>ट्रेड सर्टिफिकेटः–</u>

ई–रिक्शा/ई–कार्ट के विक्रय हेतु विनिर्माता द्वारा नियुक्त किये गए डीलर्स को अन्य वाहनों के समान ही परिवहन विभाग से ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा इसके अभाव में इन वाहनों का विक्रय अमान्य होगा। ट्रेड सर्टिफिकेट संबंधी समस्त प्रावधान इन वाहनों हेतु लागू रहेंगे। ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के विक्रय हेतु पृथक–पृथक आवेदन किया जाएगा एवं पृथक–पृथक ही ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

4. <u>रजिस्ट्रेशनः–</u>

(1) ई–रिक्शा/ई–कार्ट का पंजीयन परिवहन यान श्रेणी में ही किया जाएगा। इन यानों हेतु आरम्भिक रूप से निम्नलिखि पंजीयन कोड आरक्षित किए जाते हैः–
   (i) ई–रिक्शा :– EP, EQ, ER, ET
   (ii) ई–कार्ट :– EG, EH

(2) ई–रिक्शा/ई–कार्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पूर्व निधारित प्रारूप संख्या 20 में ही किया जाएगा।

(3) उक्त आवेदन प्ररूप संख्या 20 के बिन्दु संख्या 13 में खण्ड (d) "in use E-Rickshaw or E-Cart" जोड़ा जाएगा।

(4) आवेदन पत्र के साथ अन्य वाहनों के आवेदन की भांति निम्न दस्तावेज संलग्न किए जाएंगेः–
   (i) विक्रय प्रमाण पत्र, प्ररूप 21, विनिर्माता या दिनांक 08.10.2014 से पूर्व विद्यमान यानों हेतु रजिस्टर्ड ई–रिक्शा/ई–कार्ट एसोसिएशन द्वारा जारी।
   (ii) वैद्य बीमा प्रमाण पत्र।
   (iii) निवास प्रमाण पत्र (केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 अनुसार)
   (iv) आवश्यकतानुसार अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र।

(v) रोड वर्दीनैस सर्टिफिकेट प्रारूप 22, विनिर्माता द्वारा या दिनांक 08.10.2014 से पूर्व विद्यमान यानों हेतु रजिस्टर्ड ई–रिक्शा/ई–कार्ट एसोसिएशन द्वारा जारी।

(vi) पंजीयन शुल्क रू0 300/–।

(vii) केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.10.2014 से पूर्व विद्यमान एवं परिवहन विभाग को उपलब्ध करायी गयी सूची में उल्लेखित ई–रिक्शा/ई–कार्ट वाहनों के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र संबंधित पंजीयन अधिकारी के समक्ष केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.01.2015 से छः माह की समयावधि के अन्दर तथा इन वाहनों के प्रोटोटाईप जारी होने की दिनांक से 90 दिवस की समयावधि के भीतर प्रारूप 20 में आवेदन किया जाना होगा।

5. <u>नम्बर प्लेट</u> :–

ई–रिक्शा/ई–कार्ट की नंबर प्लेट 500CC तक के तीन पहिया यानों की भांति ही बनाई जावेगी तथा लगाई जावेगी, जो कि केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 51 में वर्णित सारणी के क्रम संख्या 5 पर यथावर्णित है। इस हेतु यद्यपि रजिस्ट्रेशन प्लेट सेवा प्रदाता मुख्यालय स्तर से निर्देशित किया जा रहा है तथापि संबंधित पंजीयन अधिकारी भी उचित परिमाप की नंबर प्लेट उक्त वाहनों पर लगाया जाना सुनिश्चित करें।

6. <u>फिटनेस</u> :–

1. ई–रिक्शा/ई–कार्ट परिवहन श्रेणी यान होने के कारण अन्य परिवहन यानों की भांति ही फिटनेस प्रमाण पत्र के अभाव में वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जावेगा।
2. इस प्रकार के यानों को प्रथम बार, दो वर्ष हेतु फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जबकि तत्पश्चात् नवीनीकरण आगामी तीन वर्ष हेतु किया जायेगा।
3. फिटनेस प्रमाण पत्र हेतु शुल्क तिपहिया वाहनों की भांति ही देय होगा।
4. ऐसे वाहनों के भौतिक निरीक्षण के समय विशेष रूप से अधिकतम गति का परीक्षण का किया जाना अपेक्षित है। समतल सतह पर जांच के समय यान पूर्ण रूप से खाली हो, यान की बैटरी फुल चार्जड हो एवं यान फुल एक्सीलेटर पर परिभाषा की अपेक्षा अनुसार अधिकतम 25 किमी/घंटा हो।

7. <u>परमिट</u> :–

1. ई–रिक्शा को तिपहिया यात्री वाहन के समरूप ही नगरीय सीमा क्षेत्र में संविदा यान का अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा। जिसकी वैधता एवं मॉडल कंडीशन तिपहिया यान (ऑटोरिक्शा)के समरूप होगी।
2. अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन शुल्क व परमिट शुल्क तिपहिया यात्री वाहन (ऑटोरिक्शा) के समान ही देय होगा।

3. ई–रिक्शा यान को वर्तमान में स्कोप से मुक्त रखे जाने का निर्णय किया गया है।

8. <u>टैक्स</u> :–

राज्य सरकार की अधिसूचना 24.01.2000 के द्वारा बैट्री चलित समस्त प्रकार के यानों को राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 व 4(b) के अंतर्गत देय करों से मुक्त किया गया है अर्थात् ई–रिक्शा/ई–कार्ट यानों पर मोटर यान कर (पथकर) एवं विशेष पथ कर (SRT) देय नहीं होगा, किंतु ग्रीन टैक्स तिपहिया यान हेतु दरों के अनुरूप वसूल ही किया जावेगा।

9. <u>लाइसेंस</u> :–

(a) ई–रिक्शा/ई–कार्ट के प्रकरण में प्रशिक्षु लाइसेंस (Learner's License) या स्थाई लाइसेंस (Permanent License) अन्य लाइसेंसों की भांति संपूर्ण भारत के लिए विधिमान्य न होकर विर्निदिष्ट क्षेत्र या मार्ग हेतु मान्य होगा। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे वाहनों को प्रशिक्षु एवं स्थायी लाइसेंस में क्षेत्र विशेष/मार्ग विशेष का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे।
उल्लेखनीय है कि ऐसे वाहनों का चलन नगरीय सीमा तक सीमित रखा जायेगा। अतः ऐसे वाहनों के लिए जारी किये जाने वाले लाइसेंस भी नगरीय सीमा से भिन्न क्षेत्र हेतु जारी नहीं किये जाएंगे।

(b) ई–रिक्शा/ई–कार्ट चालन हेतु चालक अनुज्ञप्ति के संबंध में प्रारूप 2, 3, 4 व 7 एवं 8 में ई–रिक्शा/ई–कार्ट श्रेणी रखी जायेगी, लेकिन उक्त यानों की श्रेणी परिवहन यान होने के कारण ऐसे लाइसेंसों की वैधता 3 वर्ष होगी।

(c) प्रारूप 3 में प्रशिक्षु लाइसेंस जारी करते समय निम्नानुसार अंकित किया जायेगा :–
इस अनुज्ञप्ति के धारकों को निम्नलिखित वर्णन के मोटर यान को संपूर्ण भारत में ओर ई–रिक्शा या ई–कार्ट के मामले में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या मार्गों पर चालन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।
इसी प्रकार स्थायी लाइसेंस जारी करते समय प्रारूप 7 के मशीन पठन योग्य क्षेत्र (Machine Redable Zone) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या रूट का वर्णन अंकित किया जायेगा।

(d) फीस/शुल्क :– केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में वाहन की श्रेणीवार लाइसेंस फीस निर्धारित नहीं है, अतः ऐसे वाहनों के चालक लाइसेंस हेतु फीस अन्य वाहनों के समान यथावत रहेगी।

(e) बैज :– ई–रिक्शा/ई–कार्ट वाहनों हेतु जारी किये जाने वाले चालक लाइसेंस को परिवहन श्रेणी में रखा गया है। इसलिए लाइसेंस के साथ चालक बैज अनिवार्य रूप से जारी किया जाएगा तथा इसके लिए निर्धारित फीस 200/–रूपये देय होगी।

(f) आवश्यक अर्हताएं :– केन्द्रीय नियमों में परिवहन यान के लाइसेंस हेतु न्यूनतम एक वर्ष का हल्के मोटर यान का चालन अनुभव, मोटर ड्राईविंग स्कूल का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है किन्तु ई–रिक्शा/ई–कार्ट के लाइसेंस प्राप्त करने वाले आवेदनों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम,1988 में संशोधन किया जाकर हल्के मोटर यान अनुभव से मुक्त किया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में संशोधन किया जाकर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (8वीं उत्तीर्ण) में इस शर्त के साथ छूट की गयी है कि आवेदक द्वारा ई–रिक्शा/ई–कार्ट के संबंधित निर्माता अथवा 08.10.2014 से पूर्व विद्यमान ई–रिक्शा/ई–कार्ट के प्रकरणों में पंजीकृत ई–रिक्शा/ई–कार्ट संघ से न्यूनतम 10 दिवस की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्ति का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।

(g) लाइसेंस में परिवहन यान की श्रेणी के संयोजन (Addition) के लिए आवश्यक मोटर ड्राईविंग स्कूल के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।

ई–रिक्शा/ई–कार्ट के प्रकरणों हेतु अन्य सामान्य प्रक्रिया यथावत् रहेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ई–रिक्शा/ई–कार्ट के पंजीयन/लाइसेंस/परमिट आदि प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावें।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

क्रमांकः प. 7(523)परि/नियम/मु0/2014/5632-5637 जयपुर, दिनांकः 06/04/2015

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, जयपुर।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. अपर परिवहन आयुक्त (जोन).....(समस्त)।
4. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी....(समस्त)।
5. संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)